

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 13/10/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग शीर्ष	संख्या/मुख्य	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच		301.815

कुल आवंटित राशि - रुपये तीन करोड़ एक लाख इक्यासी हजार पाँच सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध रु. 9994.57 लाख (निन्यानबे करोड़ चौरानबे लाख सन्तावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।



(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी0 टी0 ई0-15/2013-14/170/बजट दिनांक 01.04.2014 एवं पत्रांक-26/बी0एस0जी0-01/2014/488/बजट दिनांक 18.12.2014 के आलोक में किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2023 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

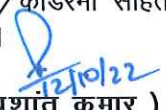

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 134

रॉची, दिनांक :- 13/10/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/लोहरदग्गा/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सराय केला/ देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

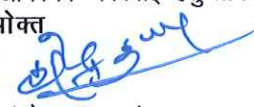

(प्रशांत कुमार)
सचिव

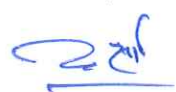
ज्ञापांक :- 134

रॉची, दिनांक :- 13/10/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/अधीक्षक अभियंता, योजना आयोजन एवं मॉनिटरिंग अंचल-2, रॉची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-02-सू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण / उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जेब

पत्रांक 134 दिनांक 13/10/22 का अनुदानक

गशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों	विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरवाहिका इंधन एवं मरम्मत	विरुद्ध शीर्ष-07-विभिन्न प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति							
कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का कार्या वेतन	एलटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक सेवाएँ	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरवाहिका इंधन एवं मरम्मत	विभिन्न प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
विषय कोड	3	4	0	0	50	60	0	0	0.000	0	0	80	0	16	17
1	2														
1	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रॉकी	विषय कोड 50S2702020050 1000101	50S2702020050 10110	50S2702020050 1000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S2702020050 501000323	50S2702020050 501000329	50S2702020050 501000333	50S2702020050 01000334	50S2702020050 01000337	50S2702020050 01000442	50S2702020050 01000760	
1	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.400	0.900	0.000	0.300	2.800	0.400	0.000	1.000	1.600	0.250	227.650
1	अतिरिक्त आवंटन	27.730	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.500	0.000	0.600	0.000	0.000	0.400	0.000	29.480
2	लघु सिंचाई अंवल-वाईबासा	कुल आवंटन 247.730	0.000	0.000	0.400	1.150	0.000	0.800	2.800	1.000	0.000	1.000	2.000	0.250	257.130
2	पूर्व का आवंटन	39.630	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.200	1.000	0.000	42.080
2	अतिरिक्त आवंटन	36.840	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	0.200	0.000	38.540
3	लघु सिंचाई अंवल-मोदिनीनगर	कुल आवंटन 76.470	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	1.700	1.200	0.000	80.620
3	पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.050	81.800
3	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.150	1.270	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.100	2.270
4	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरना	कुल आवंटन 80.000	0.000	0.250	1.270	0.750	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.500	0.150	84.070
4	पूर्व का आवंटन	123.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	2.060	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	125.810
4	अतिरिक्त आवंटन	5.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.320	0.000	0.000	0.050	0.000	0.050	0.600	0.000	6.270
5	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी	कुल आवंटन 128.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.320	0.000	2.060	0.050	0.000	0.050	1.100	0.000	132.080
5	पूर्व का आवंटन	204.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.100	0.000	2.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.150	207.550
5	अतिरिक्त आवंटन	18.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.500	0.600	0.050	20.050
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	कुल आवंटन 222.500	0.000	0.000	0.200	0.650	0.100	0.000	2.000	0.350	0.000	0.500	1.100	0.200	227.600
6	पूर्व का आवंटन	136.000	0.000	0.200	0.450	0.250	2.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.200	139.700
6	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.550	0.250	4.980	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	6.330
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-धरारा	कुल आवंटन 136.000	0.000	0.200	1.000	0.500	6.980	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.200	146.030
7	पूर्व का आवंटन	150.000	0.000	0.000	0.800	0.600	0.000	0.700	2.080	0.100	0.000	0.500	1.000	0.200	155.980
7	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.400
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-धनबाद	कुल आवंटन 150.000	0.000	0.000	0.800	0.600	0.000	0.700	2.080	0.100	0.000	0.500	1.400	0.200	156.380
8	पूर्व का आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	2.100	0.100	0.000	0.000	0.500	0.250	193.650
8	अतिरिक्त आवंटन	78.910	0.000	0.000	1.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.960
8	कुल आवंटन	268.910	0.000	0.000	1.250	0.500	0.000	0.000	2.100	0.100	0.000	0.000	0.500	0.250	273.610

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-02-	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-	राशि लाख रुपये में									
कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक संचार	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभिमुक्ति		
1	2	3	4	0	0	50	60	0	0	0.000	0	0	80	0	16	17
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-संजी	विपन कोड	5052702020050 1000101	5052702020050 10110	5052702020050 1000112	5052702020050 1000213	5052702020050 1000315	5052702020050 01000316	5052702020050 501000323	5052702020000 501000329	5052702020050 501000333	5052702020050 01000334	5052702020050 01000337	5052702020050 01000442	5052702020050 01000780	
													</			

नोट :- व्यावसायिक मद में राशि का आवंटन आवंटनोक्ति द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर के भुगतान के लिए है। इस राशि का व्यय अन्य मदों में नहीं किया जाय।

(हिरेश कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

134
1310122